

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 58  
जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	34746.18	...	34746.18	35581.44	...	35581.44	44538.13	...	44538.13	35581.44	...	35581.44
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>34746.18</b>	...	<b>34746.18</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>	<b>44538.13</b>	...	<b>44538.13</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00
2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता	33019.72	...	33019.72	33923.00	...	33923.00	43409.13	...	43409.13	33923.00	...	33923.00
3. क्षतिग्रस्त अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए अनुदान	647.46	...	647.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. डल नगीन झील के पुनरुद्धार हेतु अनुदान	...	...	...	273.00	...	273.00	...	...	...	...	...	...
5. 624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान	300.00	...	300.00	130.00	...	130.00	...	...	...	130.00	...	130.00
6. रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान	300.00	...	300.00	476.44	...	476.44	...	...	...	476.44	...	476.44
7. जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान	...	...	...	...	...	...	850.00	...	850.00	500.00	...	500.00
8. संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता	200.00	...	200.00	500.00	...	500.00	...	...	...	101.77	...	101.77
9. 540 एमडब्ल्यू केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	171.23	...	171.23
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>34746.18</b>	...	<b>34746.18</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>	<b>44538.13</b>	...	<b>44538.13</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>34746.18</b>	...	<b>34746.18</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>	<b>44538.13</b>	...	<b>44538.13</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>अन्य</b>												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	34746.18	...	34746.18	35581.44	...	35581.44	44538.13	...	44538.13	35581.44	...	35581.44
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>34746.18</b>	...	<b>34746.18</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>	<b>44538.13</b>	...	<b>44538.13</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>34746.18</b>	...	<b>34746.18</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>	<b>44538.13</b>	...	<b>44538.13</b>	<b>35581.44</b>	...	<b>35581.44</b>

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान:** ये प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान के लिए हैं।
2. **संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र को अपनी संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए है। संशोधित अनुमान 2022-23 में 9486.13 करोड़ रुपए की विशेष राजकोषीय सहायता शामिल है।
3. **अतिग्रस्त अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए अनुदान:** वर्ष 2014 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई अवसंरचना की स्थायी मरम्मत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान।
4. **डल नगीन झील के पुनरुद्धार हेतु अनुदान:** श्रीनगर में डल-नगीन झील के पुनर्वास संरक्षण तथा मरम्मत के लिए प्रावधान।
5. **624 मेगावाट किरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान:** किरू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण हेतु इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए प्रावधान।
6. **रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान:** 850 मेगावाट रेटल जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए प्रावधान।
7. **जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान:** यह प्रावधान झेलम तावी बाढ़ पुनरुद्धार परियोजना (जेटीएफआरपी) के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।
8. **संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** यह प्रावधान अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन निधियन अंतराल की पूर्ति हेतु है।